**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 60 / 2022

अनवान : –

1. लिछमण पुत्र सुरजाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. शेराराम पुत्र सुरजाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. कृष्ण पुत्र सुरजाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– सायल

**बनाम्**

1. ओमप्रकाश पुत्र किस्तुरी जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. हजारीराम पुत्र किस्तुरी जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. पृथ्वीराम पुत्र किस्तुरी जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. मनीराम पुत्र किस्तुरी जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. परमेश्वरी पुत्री किस्तुरी जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री किस्तुरी जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. आसी देवी पुत्री भैराराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. रूपा पुत्री भैराराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
9. सजनी देवी पुत्री जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
10. ग्यारसी पुत्री सुरजाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
11. नन्दराम पुत्र सुरजाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
12. मुनीस पुत्री सुरजाराम जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
13. तुलछी पुत्री भागीरथ जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
14. बादु देवी पुत्री भागीरथ जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
15. विमला देवी पुत्री भागीरथ जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
16. सोहनलाल पुत्र भागीरथ जाति बावरी निवासी भूकरका तहसील नोहर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
18. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भूकरका तहसील नोहर।
19. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रार्थी**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **अप्रार्थी**

**निर्णय** दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 288/448 के खसरा न0 556 की 12.6210 हैक्ट भूमि सायलान स0 [illegible] गैरसायल स0 1 ता 16 की मुश्तरका खातेदारी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादग्रस्त भूमि का खाता मुश्तरका होने से गैरसायलान का सायलान के साथ कब्जा काश्त एवं लगान व सींव डोल को लेकर झगड़ा फसाद रहता है इसलिए सायलान खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त के अलग अलग करवा पाने के अधिकारी है। सायलान ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है परन्तु गैरसायलान वाद भूमि में खाता विभाजन करवाये बिना ही विशेष हिस्सा जो सायलान द्वारा समतल करवाया गया है को बैचान करने पर आमाद है व किन्ही अजनबी व्यक्तियों को काबिज करने पर आमाद है अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायलान गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने की मजाज है कि गैरसायालान मुश्तरका खाते में विशेष हिस्सा की भूमि का बैचान करने से निषिद्ध रहे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पारित कि जावे की विवादित भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 288/448 के खसरा न0 556 की 12.6210 हैक्ट भूमि में अप्रार्थीगण विशेष हिस्सा या किस्म भूमि का बैचान न करें एवं प्राथीगण के कब्जा काश्त में किन्ही अजनबी क्रेतागण से काबिज करवाने से निषिद्ध रहे तथा रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 288/448 की 12.6210 हैक्ट भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक न करें।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ता 7 व 9 ता 16 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 व 9 ता 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स0 8 की तरफ से श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच–इंच में सभी खातेदारों का हिस्सा समायोजित है व मुताबिक किस्म खाता व लगान अलग अलग करवा पाने के अधिकारी है। उत्तरदाता मुश्तरका भूमि मे रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है। मुश्तरका भूमि में किसी प्रकार का विशेष हिस्सा नही होता है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र का मूल दावा लिछमण बनाम ओमप्रकाश प्रकरण संख्या 327/22 जो की दिनांक 28.03.2023 को कार्यवाही स्थागित हो चुकी है जो की रूपा बनाम नंदराम वाद में संलग्न है इसलिए प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारीज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की [illegible] अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जब तक खाता विभाजन [illegible] अप्रार्थीगण को ताफैसला

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें तथा निर्माण कार्य न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि में प्रार्थीया का पिता एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है। दावा खाता विभाजन का है अप्रार्थी द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण मुश्तकरका खातेदार काश्तकार है जिनके खाता विभाजन का बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारित होगा, प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखना देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 288/448 की 12.6210 हैक्ट भूमि शामिल खाते में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है। उभयपक्ष रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने के अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है अतः अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थीगण के हिस्से को अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 30/10/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:14 IST
Reason: SelfAttested